अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 88–67 / 2011

रानी झाा – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: **आदेश** :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या 31 / 2011–12 में दिनांक 20.08.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद दयार किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है ।

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि उक्त अपीलवाद बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा अन्तर्गत देहद पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र बेहट, केन्द्र संख्या–70 का निरीक्षण दिनांक 21.07.2011 को सुप्रिया महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा द्वारा किया गया । निरीक्षण के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्र पूर्णतः बंद पाया गया ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ज्ञापांक 81–2 दिनांक 09.08.2011 द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका को ऑगनबाड़ी केन्द्र बन्द रखने के आरोप में स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 18.08.2011 के 11.00 बजे पूवाहन् को निम्न न्यायालय में उपस्थित होने का सूचना दिया गया।

निम्न न्यायालय में दिनांक 18.08.2011 को सुनवाई की गई । सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा उपस्थित हुए । ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई । अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया तथा उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा सेविका के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आरोप के बिन्दु पर कथन करते हैं कि दिनांक 21.07.11 को ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा दोपहर 12.00 बजे तक ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया गया । विगत दो माह से पोषाहार की राशि उपलब्ध नहीं होने पर पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा पोषाहार प्राप्त नहीं होने का कारण पृच्छा करते रहते थे । इस बिन्दु पर वार्ता के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा मौखिक आदेश से बुलाये जाने पर अपीलार्थी बाल विकास परियोजना कार्यालय, सोनवर्षा गयी थी। फलतः दिनांक 21.07.11 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण किये जाने पर अपीलार्थी केन्द्र से अनुपस्थित पायी गयी एवं केन्द्र बन्द पाया गया । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में अनुपस्थिति की सत्यता की सम्पुष्टि किए बिना सेविका के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध सेविका पद पर योगदान से लेकर चयनमुक्ति अवधि तक पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा किसी भी स्तर पर कोई शिकायत नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि भिन्न–भिन्न समय में उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया है तथा निरीक्षण पंजी में सेविका के विरूद्ध कोई टिप्पणी अंकित नहीं हुआ है । विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 2783 दिनांक 03.10.06 द्वारा सेविका /सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका की धारा 9 में 15 दिनों से सेविका/सहायिका के अनुपस्थित रहने या अपराधिक घटना में शामिल होने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के कारण पृच्छा अस्वीकृति की बिना विवेचना किए आदेश पारित किया गया है। अतएव निम्न न्यायालय का आदेश नैसर्गिक नियम के विरूद्ध बतलाते हुए इसे विधि विरूद्ध आदेश को खारिज करते हुए पुनः बहाल करने का अनुरोध करते हैं ।

सरकारी विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी एवं सुनवाई में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा स्वयं उपस्थित थीं तथा उनके द्वारा उक्त तिथि को सोनवर्षा बुलाये जाने की अपीलार्थी के कथन की सम्पुष्टि नहीं की गई है और अपीलार्थी द्वारा भी तथाकथित वार्ता में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिए गए निदेश/ मार्गदर्शन का वर्णन स्पष्टीकरण में नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी का कथन सही प्रतीत नहीं होता है । अस्तु निम्न न्यायालय का न्यायादेश सही एवं नियम संगत है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में रक्षित सभी कागजात का अवलोकन किया। अभिलेखीय साक्ष्य/तथ्य की सुक्ष्म अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि अपीलार्थी निरीक्षण के तिथि को केन्द्र से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है व उचाधिकारी को दिगभ्रमित की है ,जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

इसे सम्पुष्ट किया जाता है । अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत । इसी के साथ अपीलवाद निस्तारित किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

11/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

11/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।